



सत्यमेव जयते



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 166 राँची, गुरुवार,	26 चैत्र, 1948 (श०)
	16 अप्रैल, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग,

संकल्प

26 मार्च, 2026

संख्या-5/आरोप-1-240/2014(भाग-1)का०-1912--उपायुक्त, पलामू के पत्रांक 1278, दिनांक 10.06.2008 के द्वारा प्राप्त प्रपत्र- 'क' में श्री गोपीनन्दन प्रसाद, झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-389/03, गृह जिला सीतामढ़ी), तत्कालीन अनुमण्डल पदाधिकारी, हुसैनाबाद पलामू के विरुद्ध उनके पदस्थापन अवधि के दौरान अन्नपूर्णा चावल वितरण संबंधी गलत उपयोगिता प्रमाण-पत्र देने, मृत लाभुकों के स्थान पर नए लाभुकों का चयन नहीं कर पूर्व से चयनित लाभुकों के लिए चावल उठाव कर वितरण शत-प्रतिशत दिखाकर मृत लाभुकों के वितरण किये गये चावल का कालाबाजारी कराने, अन्नपूर्णा योजना के भण्डार पंजी का भी संधारण नहीं करने, इस योजना का अनुश्रवण नहीं करने आदि से संबंधित आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं ।

2. उक्त आरोपों की जाँच हेतु विभागीय संकल्प संख्या-3422 दिनांक-23.05.2009 द्वारा श्री प्रसाद के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

3. जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी द्वारा पत्रांक-86, दिनांक 28.02.2012 के द्वारा श्री प्रसाद के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित कर जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जाँच प्रतिवेदन में श्री प्रसाद के विरुद्ध सभी 09 आरोपों को अप्रमाणित पाया गया।

विभागीय समीक्षा के क्रम में आरोप संख्या-2 एवं 3 प्रमाणित पाये गये। प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प संख्या-3656, दिनांक 17.04.2012 द्वारा श्री प्रसाद के दो वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया है।

4. विभागीय संकल्प संख्या-3656, दिनांक 17.04.2012 द्वारा अधिरोपित दण्ड के विरुद्ध श्री प्रसाद द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में याचिका W.P. (S) No. 2863/2012- गोपी नन्दन प्रसाद बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर की गई है।

5. W.P.(S) No. 2863/2012- गोपी नन्दन प्रसाद बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 10.01.2014 को पारित न्यायादेश के द्वारा विभागीय संकल्प संख्या-3656, दिनांक 17.04.2012 को निरस्त (Set aside) करते हुए मामले को अनुशासनिक प्राधिकार को वापस करते हुए फुनः द्वितीय कारण पृच्छा पूछने एवं निर्णय लेने का निदेश दिया गया।

6. उक्त न्यायादेश के आलोक में विभागीय संकल्प सं0-3551, दिनांक 15.04.2014 द्वारा श्री प्रसाद के विरुद्ध दण्ड अधिरोपण से संबंधित उक्त संकल्प संख्या-3656, दिनांक 17.04.2012 को विलोपित कर दिया गया तथा श्री प्रसाद को संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन-सह-मंतव्य से असहमति का कारण दर्शाते हुए विभागीय पत्रांक-3608, दिनांक 16.04.2014 द्वारा पुनः द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

7. श्री प्रसाद के पत्र, दिनांक 06.05.2014 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर उपलब्ध कराया गया। श्री प्रसाद से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब के समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प संख्या- 8993 दिनांक- 08.09.2014 द्वारा श्री प्रसाद के विरुद्ध दो वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड अधिरोपित किया गया।

8. विभागीय संकल्प संख्या- 8993 दिनांक- 08.09.2014 द्वारा अधिरोपित दण्ड के विरुद्ध श्री प्रसाद के द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में WP(S) No. 5292/2014 गोपी नन्दन प्रसाद बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर किया गया।

9. WP(S) No. 5292/2014 गोपी नंदन प्रसाद बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक- 08.02.2024 को पारित न्यायादेश द्वारा विभागीय संकल्प संख्या- 8993 दिनांक- 08.09.2014 को निरस्त (Set aside) कर दिया गया। दिनांक- 08.02.2024 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:

".....6. It is bounded duty of the disciplinary authority before differing with the report of enquiry officer to assign cogent reasons. The same thing has not done in the instant case in spite of earlier direction of the Court issued in W.P.(S) No.2863 of 2012.

7. In view of the aforesaid observations and judicial pronouncements, this Court is of the view that the impugned order dated 08.09.2014 at (Annexure-9) issued by the respondent no.3 is fit to be quashed and set aside.

8. Petitioner is entitled for all consequential benefits.

9. Accordingly, the instant writ petition stands allowed."

10. WP(S) No. 5292/2014 गोपी नंदन प्रसाद बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक- 08.02.2024 को पारित न्यायादेश के विरुद्ध माननीय न्यायालय में LPA No. 107/2025 झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम गोपी नंदन प्रसाद दायर किया गया ।

11. LPA No. 107/2025 झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम गोपी नंदन प्रसाद में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक- 17.04.2025 को पारित न्यायादेश के द्वारा उक्त अपीलवाद LPA No. 107/2025 को भी निरस्त कर दिया गया है। उक्त न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:

".....23. In the facts and circumstances of the case, we are satisfied that applicants have been negligent in taking steps to file the Letters Patent Appeal and they have not shown sufficient cause for condoning the same.

24. Therefore, the application for condonation of delay is dismissed. Consequently, the Letters Patent Appeal is also dismissed.

25. All pending applications shall stand closed."

12. LPA No. 107/2025 झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम गोपी नंदन प्रसाद में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक- 17.04.2025 को पारित न्यायादेश के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय SLP No- -----/2025(Diary No. 50369/2025) झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम गोपीनन्दन प्रसाद दायर किया गया।

13. SLP No- -----/2025(Diary No. 50369/2025) झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम गोपीनन्दन प्रसाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक-13.02.2026 को पारित न्यायादेश के द्वारा उक्त SLP को निरस्त कर दिया गया है। पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:

"1. Delay Condoned.

2. We do not find a good ground to interfere with the impugned order/judgment in exercise of our jurisdiction under Article 136 of the constitution of India. Accordingly, the Special leave petition stands dismissed.

3. Pending application(s), if any, shall stand disposed of."

14. अतः समीक्षोपरांत, WP(S) No. 5292/2014 गोपी नंदन प्रसाद बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक- 08.02.2024 को पारित न्यायादेश एवं वर्णित न्यायादेशों के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या- 8993 दिनांक- 08.09.2014 के द्वारा श्री गोपीनन्दन प्रसाद, झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-389/03), तत्कालीन अनुमण्डल पदाधिकारी, हुसैनाबाद, पलामू, सम्प्रति-सेवानिवृत्त के विरुद्ध अधिरोपित 'दो वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड' को विलोपित किया जाता है ।

15. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री गोपीनन्दन प्रसाद, झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-389/03) एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टू दोराईबुरु,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
